16.43-3/4 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(*Amendment of article* 370).

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

Mr. Chairman: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

Shri Hari Vishnu Kamath: Chairman Madam, I introduce the Bill.

16.44 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT BILL*

(*Amendment of article* 130).

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

Mr. Chairman: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

Shri Hari Vishnu Kamath: Chairman, Madam I introduce the Bill.

16.44½ hrs.

PROHIBITION OF MANUFACTURE AND IMPORT OF HYDROGENATED VEGETABLE OILS BILL—*by* Shri Yashpal Singh—*contd.*

Mr. Chairman: The House will take up further consideration of the following motion moved by Shri Yashpal Singh on the 18th November, 1966:—

"That the bill to provide for prohibition of manufacuture and import of hydrogenated vegetable oils in India, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 1st February, 1967."

Already we have taken one hour, so that there is only half and hour more for this discussion. Shri Radhelal Vyas.

16.45 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : इस विधेयक पर पिछली बार भी काफ़ी चर्चा हुई थी। वनस्पति घी पर प्रतिबन्ध लगाने का यह जो विधेयक है इस में कुछ बातों पर विचार करना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था वनस्पति घी अब एक . . .

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): घी नहीं है।

श्री राधे लाल व्यास : घी ही इस को कहते हैं। सभी जगह इसको घी ही के नाम से ही पुकारा जाता है। इसलिये जो नाम इसका पड़ गया है उसी नाम का मैं प्रयोग करूंगा। यह वनस्पति जो हमें मिलता है या जो हम खरीदते हैं इसको बड़े बड़े पैसे वाले भी खरीदते हैं। उनके यहां जो ब्याह शादियां होती हैं उन में भी वनस्पति घी से ही चीज़ बनाई जाती हैं और उनको इसी से तैयार किया जाता है। इस वास्ते अगर इसको एक दम बन्द कर दिया गया तो मैं समझता हूं कि देश में महान संकट पैदा हो जाएगा और लोगों को मुशकिल हो जाएगी और जो थोड़ा बहुत घी लोगों को मिलता है वह भी मिलना मुशकिल हो जाएगा। यह जरूर है कि इसका दुरुपयोग होता है, इसको असली घी में मिला दिया जाता है और उस पर ही सारी आपत्ति है। इस विषय पर यहां कई बार चर्चा हो चुकी है और इस पर भी चर्चा हो चुकी है कि इस

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2; dated 2-12-66.

में कोई रंग ऐसा मिलाया जाना चाहिये जिस से इसको असली घी में मिलाया जा सके। अभी तक कोई ऐसा रंग नहीं मिला है जोकि इस में मिलाया जा सके। आज के वैज्ञानिक युग में अगर कोई ऐसा रंग निकाल भी लिया जाए तो भी मेरा ख्याल है कि इस रंग को अलग करने की क्रिया भी वैज्ञानिक लोग मालूम कर लेंगे और उसको दूर भी वे कर लेंगे। इस वास्ते इससे काम नहीं होगा। इस लिये मैंने सुझाव यह रखा था कि सब से अच्छा तरीका यह है कि इस वनस्पति के तेल को जमाया न जाए, इसको पिघला हुआ रखा जाये। आखिरकार जब इसको काम में लाया जाता है तो पिघला कर ही काम में लाया जाता है रोटी चुपड़नी होती है तो भी इसको पिघलाया जाता है और अगर कड़ाही में डाल कर पकवान बनाने होते हैं तो भी इसको पिघलाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि यह जो मेरा सुझाव है इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये तेल को शुद्ध तो करें, फ़िल्टर तो करें, यहां तक तो होने दें लेकिन जमाने का जहां तक सवाल है, उसका जमाना बन्द कर दें। इससे सारी जो शिकायत है वह दूर हो जाएगी और तेल के रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।

दूसरा तरीका यह है कि जो असली घी है उसका उत्पादन बढ़ाया जाए। काफ़ी कहा गया है कि गोवद्ध के कारण घी का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि घी का गोवद्ध से सम्बन्ध नहीं है।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : सौ फ़ीसदी है।

श्री राधे लाल व्यास : गोवद्ध बन्द करने से अगर घी का उत्पादन बढ़ जाए तब तो अच्छी बात है। लेकिन मैं यह नहीं कहता हूं कि गो वद्ध बन्द नहीं होना चाहिये। मैं गोवद्ध के खिलाफ़ हूं। मैं चाहता हूं कि गोवद्ध न हो। ये मेरे आज के विचार नहीं हैं, बहुत पहले मैं अपने इस विचार को प्रकट कर चुका हूं। मैं मानता हूं कि संविधान में इसके बारे में जो कुछ लिखा हुआ है उसका पालन होना चाहिये। लेकिन यह काम राज्य सरकारों को करना है। यहां यह भी कहा गया है कि केन्द्र भी इस को कर सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि वह नहीं कर सकता है क्योंकि इसके बारे में स्पष्ट निर्देश दिया गया है और यह जो विषय है यह लिस्ट 2 में दिया हुआ है। राज्य सरकार ही इसको कर सकती है। मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री और गृह मंत्री पूरा प्रभाव डाल कर इसको करवायेंगे।

एक और प्रश्न यहां उठाया गया है और यह कहा गया है कि चरागाहें नहीं रखी गई हैं। चारागाहें रखनी चाहिये।

कई राज्य हैं जहां चरागाहें हैं। मेरे राज्य में कई जगह आज भी चरागाहें हैं। लेकिन जो गायें हैं वह आधा सेर और पाव पाव भर दूध देती हैं। इसके विपरीत आप देखें कि जहां पर स्टाल फ़ीडिंग होता है, जहां पर घर पर गाय रखी जाती हैं, जहां घर पर ही उन को खिलाया पिलाया जाता है वहां वे बहुत अच्छा और ज्यादा दूध देती हैं। पूसा इंस्टीट्यूट में जा कर आप गायों को देखें। गायें बहुत दूध देती हैं। जो गायें चौबीसों घंटे अन्दर रहती हैं वहां वे अच्छा दूध देती हैं। पंजाब में आप जा कर देखें लो। इस विधेयक के जो प्रस्तावक हैं वह खुद देखें कि पंजाब में कितनी चरागाहें हैं। वहां नहीं हैं। लेकिन सब से अधिक दूध पंजाब की गायें देती हैं। गायों का पालना, उनका संरक्षण और अच्छी नस्ल की गायें पैदा करना और अच्छे दूध की व्यवस्था करना डेरी के द्वारा गोशालाओं के द्वारा, और उस में दिलचस्पी लेना यह हम सब का कर्त्तव्य होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो गाय की सेवा की

[श्री राधे लाल व्यास]

बात करते हैं, गोरक्षा की बात करते हैं, वे गोपालन की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर गाय की हम रक्षा करना चाहते हैं तो गोपालन की तरफ हमें ध्यान दे ना होगा, गाय का व्रत लेना होगा, गाय का दूध पीना होगा, गाय का घी खाना होगा, मरे हुए मवेशी के ही चमड़े का जूता पहनना होगा, जिन्दा जानवर को मार कर और उसकी क्रोम लेकर जो जूते बनते हैं, हमें व्रत लेना होगा कि हम उनको नहीं पहनेंगें और गांधी जी ने जो तरीका बताया था, उस पर चलना होगा। जब तक समाज के लोग, सुधारक और नेता उस तरीके नहीं अपनायेंगे, तब तक गो की रक्षा नहीं सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल गाय की संख्या बढ़ाने से ही गोपालन नहीं होगा। इस लिए मेरा सुझाव है कि घी का उत्पादन बढ़ाया जाय और उस का तरीका यही है कि ज्यादा से ज्यादा गोशालायें स्थापित की जायें, जिन में खास ब्रीडिंग के द्वारा अच्छी नस्ल की और ज्यादा दूध देने वाली गायों का उत्पादन हो। इस के अतिरिक्त लोग गाय के दूध और घी का प्रयोग करने का व्रत लें। इसी प्रकार यह समस्या हल होगी।

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): Sir, ...

श्री यशपाल सिंह : उपमंत्री महोदय जो बोल रहे हैं, वह डाल्डा की लेंग्वेज है। वह हमारी लेंग्वेज नहीं है। जो हमारी शुद्ध घी की भाषा है, वह उस में बोलें।

Shri Shinde: Sir, Mr. Yashpal Singh has moved that this Bill for banning the import and manufacture of vanaspati be circulated for eliciting public opinion. I do not know wherefrom he got the information that vanaspati is being imported. At present no vanaspati is imported into India from outside nor does the Government contemplate to do so in future. So, that is quite irrelevant.

Regarding the other point, *i.e.* manufacture of vanaspati, it has been agitated in the House a number of times during the last decade. Hon. members who have earlier moved such motions have either withdrawn the motions or the motions were rejected by the House. The main argument of Mr. Yashpal Singh is that vanaspati is harmful to health and the consumption of this commodity would make our nation weak. He referred to the inability of Government to find out a suitable colour for colourisation of vanaspati.

Some leading members who have participated in the debate like Mr. Raghunath Singh, Shri Kakkar and Mr. Balmiki have really met the points raised by Mr. Yashpal Singh. Still, I would try to put before the House the technical position as well as the scientific views and results of researches in regard to vanaspati, so that there is no misunderstanding or wrong impression in the country. Vanaspati is not a product which is consumed only in India. It is consumed all over the world—in eastern as well as western countries, In the capitalist as well as communist countries. Mr. Yashpal Singh is a very knowledgeable person and though he knew that vanaspati is consumed all over the world, he did not mention it deliberately. Vanaspati is called by different names and different brands in different countries—Shortening, Margarine, etc. Shortening is almost the same as our vanaspati and is used in the same way. Margarine is a butter substitute.

Shri Radhelal Vyas: Is it hydrogenated?

Shri Shinde: Yes; the same process is used by our manufacturers as in other countries.

May I also mention that the *per capita* consumption of such fat in other

countries is much higher as compared to India. For instance, in the Scandinavian countries *per capita* consumption per year is between 40 pounds to 50 pounds per year. In the United Kingdom, USA and West Germany, it is 20 to 30 pounds, whereas in India it is only 1.6 pounds. I do not know why the hon. Member has apprehension about this. Such a high rate of consumption in some other countries has not caused any harm to public health in those countries. I do not know why the hon. Member should harbour any apprehension about this product in our country.

Doubts have been raised from time to time about this aspect that vanaspathi has no nutritive value and it is also harmful to human health. Detailed investigations in regard to this were carried on in all important laboratories of our country and important scientists were associated with the investigation of this. May I summarise the results of the investigations carried out by scientists. The detailed studies carried out on the effect of hydrogenated oils have shown that vegetale oils like groundnut oil, sesame oil and their hydrogenated products with a melting point of 37 degree C. and butter have almost the same nutritive value—I underline the word "butter". Hydrogenated oils have similar digestibility as non-hydrogenated oils. These studies have also shown that hydrogenated oils influence the utilisation of other dietary constituents such as calcium to the same extent as untreated vegetable oils and butter. Moreover, butter and hydrogenated fats as sold in India are good sources of vitamin A.

Moreover, I would like to add one thing. The hon. Member has raised some doubts about the utility of vanaspathi because of some reports that have appeared in the Press. Recent reports which appeared in the Press indicate that vanaspathi is one of the causes of heart disease. These reports were very closely examined and they were carefully looked into by the Ministry of Halth in consultation with the Indian Council of Medical Research, which initiated detailed researches on the subject. These researches have shown that consumption of so-called "hard" fats like butter, ghee, vanaspathi or even coconut oil at high levels, that is, supplying nearly 40 per cent of the total calories in the diet, tends to increase the cholesterol levels in the blood serum; but that such increase in serum cholesterol levels, even on prolonged feeding over a period of one year in monkeys, corresponding to 6 to 7 years in humans, is not attended with the development of atherosclerosis, as had been once presumed. It has also been shown that the intake of such fats at moderate or low levels (10 to 15 per cent of the total calories in the diet) is associated with no significant increase in serum cholesterol levels. There are a number of other details and I do not want to take the time of the House on that.

It will thus be clear that all that can be said is that excessive consumption of hydrogenated oils may lead to an increase in blood cholesterol levels which, however, has not been proved to bear any causal relationship with heart disease. May I also mention that all other "hard" ghee, coconut oil, fats like butter, etc., have the same..

Shri J. B. Kripalani (Amroha): Does the hon. Minister know that doctors do not allow heart patients to take dalda?

Shri Shinde: In fact, all fatty substances are not allowed by doctors.

Shri J. B. Kripalani: They specially prohibit this. I can tell you from my personal experience. Do not quote doctors here. I have consulted umpteen doctors. They say, one can take oil but not this hydrogenated oil.

17 hrs.

Shri Shinde: The hon. Member has raised some point. I will look into it.

Shri J. B. Kripalani: Did he suffer from heart disease at any time?

Shri Shinde: One need not necessarily undergo that experience to know about it. Fortunately, I am not a heart patient.

Shri J. B. Kripalani: So, you are talking through your hat.

Shri Shinde: If it is said for this reason alone that the production and consumption of hydrogenated vegetable oil is undesirable and should be banned, then we would necessarily have to ban the production and consumption of butter, ghee and coconut oil as well. That is my difficulty. Broadly speaking, it may be stated that consumption of all fats inexcess is harmful, but with our sub-normal *per capita* consumption of fats and oils in the country, such a contingency can hardly be expected to arise.

Shri J. B. Kripalani: I hope one day you will suffer from heart disease and then revise your views.

Shri Shinde: May I say for the information of the hon. House that the total quantity of edible oils and fats available in the country which, currently, is around 23.3 lakh tonnes (including 4.5 lakh tonnes of ghee, 4.3 lakh tonnes of vanaspati and 14.5 lakh tonnes of other edible oils) is just sufficient to provide a *per capita* consumption of ½ oz. per day as against the minimum normal requirement of 2 ozs. according to nutritional experts. There is, therefore, plenty of scope for both vanaspath and ghee, along with edible vegetable oils, to flourish side by side and to expand and develop without impinging on one another's interests.

It is true that because of its very nature and appearance, vanaspathi does lend itself to being misused as an adulterant in ghee. However, the chemical composition of vanaspathi and ghee are such as to enable detection of adulteration of ghee with vanaspathi by chemical analysis. As an additional safeguard, Government have also provided for the compulsory addition of 5 per cent of sesame oil to vanaspathi. This serves as a latent colour by imparting to vanaspathi a positive 'Baudouin Test' based on a colour reaction, by which its presence in ghee could be detected even at a level of 10 per cent.

May I add that though we have tried to consult scientific opinion in regard to colourisation of vanaspathi, unfortunately, the scientific opinion is that colourisation of vanaspathi is not practical. Of the various colours suggested, two alone were considered promising by the Expert Committee, *viz., ratanjot* and turmeric; and further researches were, therefore, initiated on these two colours. These researches have failed to clear the earlier doubts about the toxicity of *ratanjot*. Turmeric was found to suffer from a serious defect due to its similarity to and indistinguishability from the colour of pure ghee. So, neither of these colours was considered acceptable.

I do not want to tire the hon. Members with additional information about colourisation. Despite our research effort for over a decade, it has not been found possible to find out any satisfactory colour. Therefore, though the suggestion is worth considering, unless the scientists and experts are convinced about this, I do not think it would be possible for the Government to advise the manufacturers to add some colour to vanaspathi.

Shri Radhelal Vyas: Why not keep it in a liquid form?

Shri Shinde: They are highly technical matters and unless scientists and experts advise accordingly, I do not think it is possible for us to adopt any method that is not practised the world over.

As far as the capacity in the country is concerned, at present there are 52 vanaspati factories in India with a total capacity of 5·92 lakh tonnes per year. In addition to the 4·3 lakh tonnes vanaspati which is manufactured every year in the country, we are also producing about 45,000 tonnes of industrial hard oils, that is, oils meant for use in the soap and fatty acid industries, and an equal quantity of refined vegetable oils.

As the House is aware, some shortage of vanaspati was experienced a few months back. It was mainly due to shortfall in the last year as a result of serious drought conditions in the main regions where groundnut is grown. In order to make adequate quantities of oil available—not adequate but to a certain extent to help the industry—we imported some soyabean oil and sunflower oil from USA and USSR. That helped to a certain extent to maintain production at a particular level and to maintain the price at reasonable levels.

There were complaints about prices too some time back. We are constantly looking into this aspect and recently we have made three successive reductions in vanaspati prices. There is no statutory control on it, but there is an informal system by which prices are regulated and the manufactures, to my mind, are co-operating with the Government in this respect.

In conclusion may I say that in the present circumstances I do not think we can avoid the manufacture of vanaspati in the country. Moreover, apart from the private sector, we are also thinking of encouraging growers' co-operatives in this field. If growers come forward and organise themselves on co-operative lines and if there are genuine co-operatives which will be able to undertake this activity, we would also think of licensing a few units in the cooperative sector.

As far as the existing capacity is concerned, we are anxious to see that the existing capacity is utilised to the maximum advantage possible.

I do not want to say anything more about this. I do not know whether I should request Shri Yashpal Singh to withdraw the Bill since he has mentioned that he is not going to withdraw the Bill even if there is only one vote in his favour. But he is a very sensible Member and I would like to appeal to him that he should withdraw the Bill. We should not unnecessarily take the time of the House.

श्री यशपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय मैं बड़ा ग्राभारी हूं उन लोगों का जिन्होंने इस के पक्ष में ग्रौर विपक्ष में भाषण दिए हैं क्योंकि हम लोग विपक्ष वालों के भी ग्राभारी होते हैं। हमारे यहां कहा है :

"श्रुतयोऽपि भिन्ना: स्मृतयोऽपि भिन्ना:
नैक: मुनीनां वचन प्रमाणम् ।"

हमारे यहां ख्याली इख्तलाफ की वजह से, विचार वैषम्य की वजह से किसी से नफरत नहीं करते। भगवान महावीर स्वामी जो हैं वह इसी बुनियाद के ऊपर उपदेश करते हैं :

"Much can be said for and against."

तो जो लोग खिलाफ बोले हैं वह भी ग्रौर जो लोग माफिक बोले हैं वह भी, मेरे लिए ग्रादर के पात्र हैं। मैं उन सब का ग्राभार प्रकट करता हूं।

कुछ एक बात हमारे मिनिस्टर साहब भूल जाते हैं कि फैट में ग्रौर गाय के घी में बहुत फर्क है। फैट हम उसे नहीं मानते। हम गाय के घी को रसायन मानते हैं, धर्म मानते हैं।

"घृताज्जायते ग्रायु:।"

घी से ग्रायु बढ़ती है। हमारे यहां उस को प्रोटीन या फैट नहीं कहते। यह हमारा रसायन है। जो गाय का घी नित्य इस्तेमाल करता है उस की न ग्रांखें कमजोर होती हैं न उस के दांत कमजोर होते हैं। 80 साल की उम्र में भी बज्र की तरह उस के दांत मजबूत रहते हैं। तो हम तो यह मानते नहीं हैं कि जैसा कि ग्राप का ख्याल है कि यह मूंगफली से भी ले सकते हैं। बादाम से भी ले सकते हैं, ऐसा हम नहीं मानते हैं। हमारे यहां जो धर्म है धर्म का मूल है गाय का दूध ग्रौर गाय का घी।

[श्री यशपाल सिंह]

और हमारे यहां ही नहीं, हदीस पाक में रह हुक्म हुआ है :

"लहमुहादाउन, वसमनुहा दवा उन व लबनुहा शिफाउन ।"

गाय का दूध दवा है, गाय का घी शिफा (रसायन) है लेकिन गाय का गोश्त बीमारी है। तो जिस तराजू पर तोलते हैं आप वह तराजू आपका सही नहीं है।

आज जो पापुलेशन बढ़ रही है और आप लोग परेशान हैं कि आबादी बढ़ रही है, इस का एक ही कारण है और वह है यह डालडा बनस्पति। बेकार की औलाद पैदा होती रहती है, कीड़े, मकौड़े पैदा होते रहते हैं, लेकिन गाय का घी खाने वालों को ही पुत्रेष्णा होती है, डिजायर फार चाइल्ड, उसमें कारनल डिजायर पैदा नहीं फ़ार दी सेक आफ़ ए चाइल्ड ओनली, लेकिन जो डालडा-कोटोजम खाने वाला है, उस में विषय वासना ज्यादा होती है और उस से फिर, कीड़े-मकौड़ों की तरह औलाद पैदा होती है —

सिंहो बली द्विरद मस्तक मांस भोजी,
जन्मान्तरे अपि कुरुते रतिमेकवारम् ।

सारे जीवन में एक दफ़ा पुत्रेष्णा पैदा होती है और जो पुत्र होता है वह शेर के समान बली होता है। आपका यह पौपुलेशन का मसला हल नहीं हो सकता, जब तक लोग डालडा और कोटोजम खायेंगे, यह तब ही हल होगा जब डालडा-कोटोजम बन्द होगा।

जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि मैं बिल को वापस ले लूं, मैं कैसे वापस ले सकता हूं। मैं भगवान राम का वंशज हूं, राम कह कर वापस नहीं लेते थे, इसलिए इस का वापस लेना असम्भव है, चाहे मुझे इस पर एक वोट मिले, तब भी मैं इस पर वोट कराऊंगा। गांधी जी ने यह कहा था कि गाय की हत्या मेरी हत्या है। गांधी जी ने कहा था कि जिस तरह से जाली रुपया बनाने वाले को सजा दी जाती है, उसी तरह से जाली घी बनाने वाले को सजा दी जानी चाहिए। आप गांधी के इस देश की, स्वामी विवेकानन्द के देश की, स्वामी दयानन्द के देश की इस संतति को खोखला कर रहे हैं, इस से बड़ा महा-पाप और कोई नहीं हो सकता, यह घर पातक है। इसी का यह प्रायश्चित् है कि चीन के हाथ से आप पिटे, पाकिस्तान से आप पिटे, नागा होस्टाइल्ज के सामने आप हाथ जोड़े खड़े हैं, आपकी कोई नीति नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इस बात को याद रखियेगा कि अगर राज्य को चलाना है तो —

दण्ड: शास्ति प्रजा सर्वा, दण्ड एवाभि रक्षति ।

Shri Shinde: The hon. Member knows that in China, they do not eat even ghee.

श्री यशपाल सिंह : उनकी संस्कृति अलग है, वह बीफ़ खाते हैं, आप बीफ़ कैसे खा लेंगे, वह अपने तरीके से तरक्की करते हैं, वे गो-मांस खाते हैं, लेकिन हम गो-मांस खाकर तरक्की नहीं कर सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि तेल क्यों न खाया जाय, लेकिन मैं आप, को बतलाऊं कि दिल्ली की आबो-हवा में मतवातिर 40 दिन तक यदि कोई तेल खा ले, तो उसको प्रमेह हो जाता है, लेकिन असली घी गाय का घी खाने वाला 80 साल की उम्र में भी जवान रहता है। आप हमारे स्पीकर साहब को देखिये, पांच-पांच घंटे तक इस कुर्सी पर बैठे रहते हैं, इसलिये कि उन्होंने आज तक डाल्डा या कोटोजिम को नहीं छुआ है। हमारे डिप्टी स्पीकर साहब को देख लीजिये, उनको भी ऐसी चीजों से नफरत है, वे वेदों को मानते हैं। मेरी उम्र ज्यादा नहीं है– मैं वेद की की इस बात को मानता हूं—

अशीती वर्षो युवा– अस्सी साल का जवान होता है। जिस वेद की संस्कृति को हम

मानते हैं, उसमें 80 साल का जवान होता है। जो ब्रह्मचारी हैं, उनसे बुढ़ापा और मौत दोनों थर थर कांपते हैं, लेकिन मेरे जैसे जो गृहस्थी हैं, जो अधकचरे लोग हैं, उनके लिये यह वेद का हुकम है कि 80 साल का जवान होता है। आप मुझे कोई किताब दे दीजिये, मैं चांदनी रात में पढ़ सकता हूं, मैं चश्मे का मोहताज नहीं हूं, इन्वेस्टीगेशन का मोहताज नहीं हूं। मैं उस घड़ी से पहले मर जाना चाहता हूं, जब मैं डाक्टर को जाकर कहूं कि मैं क्या खाऊं और क्या न खाऊं, किस चीज़ की सब्ज़ी खाऊं, मैं उससे पहले मर जाना अच्छा समझता हूं। जैसे एक प्रोफेसर एम० ए० पास कोई निबन्ध लिख दे और फिर एक मिडिल पास जाकर उस निबन्ध में कोई कलम लगा दे, तो यह एम० ए० पास प्रोफेसर की सबसे बड़ी इन्सल्ट होगी। भगवान ने इसलिये इस मन्दिर को दिया है कि हम धर्म-काम और मोक्ष का पालन करें, उसके साक्षात दर्शन करें। अगर हम इसमें डाक्टर के पास जाकर मशविरा करके खान-पान को जारी करेंगे तो यह विधाता के साथ सबसे बड़ी हिमाकत होगी।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि काफ़ी तबाही हो चुकी है, पतन हो चुका है, डिफ़ीट हो चुकी है, गिरावट की पराकाष्ठा हो चुकी है, ऐसी कोई डिफ़ीट नहीं है जो हिन्दुस्तान के माथे पर न लगी हो, ऐसा कोई कलंक नहीं है जो भारत माता की पेशानी पर न लगा हो, इन 50 करोड़ जनता पर रहमो-करम करके कम से कम डाल्डा और कोटोजम को खत्म कीजिये। इन शब्दों के साथ मैं यह कहूंगा कि मेरे इस बिल को पास किया जाय।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill to provide for prohibition of manufacture and import of hydrogenated vegetable oils in India, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 1st February, 1967."

The Lok Sabha divided:

Division No 23] **AYES** **[17.20 hours.**

Bade, Shri	Mohammad Yusuf, Shri	Swamy, Shri Sivamurthi
Firodia, Shri	Sharma, Shri D.C.	Yadav, Shri Ram Sewak
Kripalani, Shri J.B.	Shastri, Shri Prakash Vir	Yashpal Singh, Shri
Bhupal Singh, Shri		

NOES

Achal Singh, Shri	Mehrotra, Shri Braj Bihari	Sahu, Shri Rameshwar
Arunachalam, Shri	Mehta, Shri Jashvant	Saraf, Shri Sham Lall
Chaudhuri, Shri D.S.	Patil, Shri M.B.	Satyabhama Devi, Shrimati
Chaudhuri, Shrimati Kamala	Patil, Shri T.A.	Sen, Shri P.G.
Deo Bhanj, Shri P.C.	Pattabhai Raman, Shri C.R.	Sheo Narain, Shri
Deshmukh, Shri B.D.	Prabhakar, Shri Naval	Shinde, Shri
Jena, Shri	Rai, Shrimati Sahodra Bai	Shree Narayan Das, Shri
Kajrolkar, Shri	Rameshekhar Prasad Singh, Shri	Sinh, Shrimati Ramdulari
Kedaria, Shri C.M.	Rane, Shri	Subbaraman, Shri
Lonikar, Shri	Roy, Shri Bishwanath	Tiwary, Shri D.N.
Mantri, Shri D.D.	Sadhu Ram, Shri	Vyas, Shri Radhelal

Mr. Deputy-Speaker: The result of the Division is:

Ayes : 10; *Noes* : 33.

Shri Surendranath Dwivedy: There is no quorum.

Mr. Deputy-Speaker: The question of quorum was not raised in the beginning.

17.20 hrs.

Shri Shinde: Some hon. Members have not voted. They should also be counted. Some have not exercised even

[Shri Shinde]

their right of abstention. They are present here and they should also be counted.

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman): Quorum was not questioned.

Mr. Deputy-Speaker: There is quorum. So, the motion is lost.

The motion was negatived.

17.21 hours

HINDU SUCCESSION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Section 14) *by Shri* D. N. Tiwary.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Hindu Succession Act, 1956, be taken into consideration".

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव बहुत साधारण सा है और इसमें बहुत अधिक बहस करने की कोई बात भी नहीं है। सन् 1956 में गलती से या ओवरसाइट से एक विधेयक पास हुआ जो कानून के रूप में आया कि महिलाओं को पति के मर जाने के बाद उसकी जायदाद में पूरा हक होगा। इसमें कोई उर्ज किसी को नहीं है अगर उनको पूरा हक मिले, लेकिन उसमें कुछ गुत्थियां आ गईं। किन्हीं सज्जन ने दो विवाह किये और दोनों पत्नियों से उनके सन्तानें हुईं। जब वह पुरुष मर गया तो उनकी विधवा पत्नी को ऐब्सोल्यूट राइट हुआ प्रापर्टी में। मान लीजिये उसने अपने स्टेप सन को हक से वंचित करने के लिये जायदाद को बेचकर अपने लड़के को दे देती है और स्टेप सन को उसके हक से महरूम कर देती है। ऐसी स्थिति में स्टेप सन के पास कोई चारा नहीं रह जाता। कानून में स्थिति यह है कि यदि विधवा बिना लिखा पढ़ी किये हुए, बिना जायदाद को बेचे हुए, मर जाती है तो दोनों लड़कों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर अपनी जिन्दगी में ही वह ऐसा करे कि स्टेप सन को उसकी जायदाद से महरूम करने के लिये, उसको वंचित करने के लिये, अपनी जायदाद को गलत तरीके से बेच कर के या फर्जी ट्रांस्फर करके अपने लड़के दे देती है और स्टेप सन को वंचित कर देती है, तो साधारण बात है कि उसको रोकने का अधिकार स्टेप सन को नहीं है। इस तरह से बोगस ट्रैन्जैक्शन को रोकने के लिये, फ्राडलेंट सेल को रोकने के लिये, यह बिल लाया गया है।

इसमें यह बात नहीं है कि यदि विधवा के जीवन में उसको कोई जरूरत पड़ जाये तो उसको जायदाद बेचने का हक नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मैं विधवा के हक को महदूद कर रहा हूं, उसको सर्कम्स्क्राइब करना या बांधना चाहता हूं। अपनी जिन्दगी में, अपने खाने पीने के लिये, अपनी जरूरत के लिये वह अपनी जायदाद को जिस तरह से चाहे इस्तेमाल कर सकती है। केवल एक ही शर्त मैं लगाना चाहता हूं कि वह बिना जरूरत के न बेचे या इसलिये न बेचे कि उसके स्टेप सन को उसके हुकूक न मिल सकें। ऐसा न हो कि उसकी जिन्दगी में सारी जायदाद बिक जाय या वह अपने लड़के को दे दे या इस तरह से ट्रांस्फर करे या बिक्री करे जो कि गलत हो और अन्त में उसके अपने लड़के को ही वह मिल जाये। सिर्फ इस चीज को रोकने के लिये यह बिल लाया गया है। जहां तक विधवा के जीवन काल का सम्बन्ध है, उसमें हमें कोई उज्र नहीं है कि उसको ऐब्सोल्यूट राइट है और वह जिस तरह से चाहे उस जायदाद का उपयोग करे, अपने लाभ के लिये, अपनी शारीरिक रक्षा के लिये, तीर्थ यात्रा के लिये, पूजा वृति के लिये। इतनी ही रोक उस पर लगा दी जाये कि उसके स्टेप सन को जो हुकूक होते हैं विधवा के मरने के बाद उसका हक छीना